172

CANCELLED. CANCELLED

समक्ष- न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर म0प्र0

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/0989

विजय सिंह वल्द श्री लक्ष्मनसिंह राजपूत,

निवासी- ग्राम डावरी, तहसील व जिला सागर म0प्र0

...... रिबीजनकर्ता.

// बनाम //

1 नरेन्द्र सिंह वल्द अमर सिंह राजपूत

निवासी- ग्राम डावरी, सर्किल नरयावली, तह0 व जि0 सागर

..... अना0/उत्तरदातागण

2 म0 प्र0 शासन

रिबीजन अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता.

रिबीजनकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यह कि, यह रिबीजन, रिबीजनकर्ता/प्रभावित कास्तकार द्वारा मान्नीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नरयावली के द्वारा रा0 प्र0 क्र0- 22 अ/12 वर्ष 2015-16 में राजस्व निरीक्षक नरयावली द्वारा किये गये सीमांकन आदेश दिनांक- 15.06.2015 से परिवेदित होकर विधिक आधारों के अलावा भू- राजस्व संहिता में बने प्रावधानों के अनुसार किये गये सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह रिबीजन न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत है।

B.O.R.

06 JAN 2018

श्री ...... अभिभाषक ...... द्वारा प्रस्तुत।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग,
सागर (म. प्र.)

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2018 / 0989

विजय सिंह विरूद्ध नरेन्द्र सिंह व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार नरयावली, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 22 / अ–12 / 2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	